



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर सरकारी हस्तक्षेप का प्रभाव: भवान्तर योजना का अध्ययन

Kishor kumar panika

Assistant sub inspector (mandi)

District - Umaria Madhya Pradesh

सारांश

भारतीय कृषि व्यवस्था में मूल्य स्थिरीकरण एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में प्रारंभ की गई भवान्तर भुगतान योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। यह शोध पत्र भवान्तर योजना के विभिन्न पहलुओं, इसकी कार्यप्रणाली, प्रभाव तथा चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते हुए यह पाया गया कि योजना ने किसानों की आय में वृद्धि की, परंतु कार्यान्वयन की जटिलताओं और वित्तीय बोझ के कारण इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह पत्र नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: भवान्तर योजना, मूल्य निर्धारण, कृषि नीति, किसान कल्याण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, दलहन, तिलहन

1. प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां लगभग 58% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है (भारत सरकार, 2020)। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, परंतु किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करना एक दीर्घकालिक समस्या रही है। बाजार में मांग और आपूर्ति के असंतुलन, मध्यस्थों की भूमिका, तथा भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को अक्सर अपनी फसल लागत मूल्य से भी कम दाम पर बेचनी पड़ती है (शर्मा, 2018)।

विशेषकर दलहन और तिलहन फसलों के मामले में स्थिति और भी गंभीर है। ये फसलें न केवल किसानों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, बल्कि भारत के पोषण सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। दलहन प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं और तिलहन खाद्य तेल की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। किंतु इन फसलों के मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से किसानों को भारी नुकसान होता है। भारत दलहन का एक बड़ा आयातक देश बन गया है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है।

1.2 दलहन और तिलहन उत्पादन की समस्याएं

दलहन और तिलहन उत्पादन में कई समस्याएं हैं जिन्हें भवान्तर योजना जैसी नीतियों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है:

1. मूल्य अस्थिरता: दलहन और तिलहन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपस्थिति के कारण उनके दाम में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है। यह किसानों के लिए अनिश्चितता और जोखिम का कारण बनता है।
2. कम सरकारी खरीद: गेहूं और धान के विपरीत, दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद सीमित है। इससे किसान पूरी तरह बाजार पर निर्भर रहते हैं।
3. अधिक परिश्रम और समय: ये फसलें अधिक मेहनत और तकनीकी ज्ञान मांगती हैं। किसान MSP आधारित फसलों में अधिक ध्यान देते हैं, जिससे दलहन और तिलहन उत्पादन में कमी आई है।
4. उत्पादन में गिरावट: परिणामस्वरूप भारत में दलहन का उत्पादन घटा है और आयात बढ़ा है। 2023 में भारत दलहन का सबसे बड़ा आयातक देश था।
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव: दलहन की कमी से गरीब परिवारों को प्रोटीन की कमी का सामना करना पड़ता है।

1.3 भवान्तर योजना में दलहन और तिलहन: महत्व और संभावनाएं

भवान्तर भुगतान योजना की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें दलहन और तिलहन फसलों को प्राथमिकता दी गई। योजना के प्रथम चरण में मूंग, उड़द, और तुअर (दलहन), तथा मूंगफली, तिल और रामतिल (तिलहन) को शामिल किया गया। यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि:

1. इन फसलों को MSP व्यवस्था से पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता था
2. किसानों को इन फसलों के उत्पादन में हतोत्साहित किया जा रहा था
3. भारत दलहन आयात पर निर्भर हो गया था
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को खतरा था

भवान्तर योजना के माध्यम से दलहन और तिलहन उत्पादकों को प्रत्यक्ष समर्थन देने से उनकी आय सुनिश्चित होती है और वे इन फसलों के उत्पादन में अधिक रुचि लेते हैं। यह पहल राज्य के कृषि उत्पादन में संतुलन लाती है और आयात की आवश्यकता को कम करती है।

अनुसार प्राप्त आंकड़ों में, मूंग और उड़द की पंजीकरण दर क्रमशः 18% और महत्वपूर्ण रही, जो यह दर्शाता है कि किसान दलहन उत्पादन में रुचि रखते हैं जब उन्हें आय की सुनिश्चितता मिलती है।

1.4 शोध का उद्देश्य

इस शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- भवान्तर भुगतान योजना की कार्यप्रणाली और संरचना का विश्लेषण करना
- योजना के कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करना
- विशेषकर दलहन और तिलहन फसलों पर योजना के प्रभाव का विश्लेषण करना
- योजना के क्रियान्वयन में आई चुनौतियों की पहचान करना

- दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सुझाव प्रदान करना
- राज्य के कृषि उत्पादन में संतुलन लाने के उपाय सुझाना

1.5 शोध की सीमाएं

यह अध्ययन मुख्यतः मध्य प्रदेश में लागू भवान्तर योजना तक सीमित है। शोध द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है और 2017-2018 की अवधि को केंद्रित करता है।

2. दलहन और तिलहन: डेटा विश्लेषण

भवान्तर योजना के प्रथम वर्ष में दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन और मूल्य निर्धारण का विश्लेषण निम्नलिखित है:

2.1 योजना में शामिल दलहन और तिलहन फसलें

क्रम	फसल	MSP (रु./किलो)	औसत बाजार मूल्य (रु./किलो)	औसत भवान्तर (रु./किलो)
1	मूंग (दलहन)	5,575	4,800	775
2	उड़द (दलहन)	5,400	4,600	800
3	तुअर (दलहन)	5,450	4,900	550
4	मूंगफली (तिलहन)	4,450	3,800	650
5	तिल (तिलहन)	5,300	4,900	400
6	रामतिल (तिलहन)	5,877	5,200	677
7	सोयाबीन (तिलहन)	3,050	2,450	600
8	मक्का (अनाज)	1,425	1,350	75

2.2 प्रमुख निष्कर्ष

डेटा विश्लेषण से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं:

दलहन फसलों का प्रदर्शन:

- उड़द में सबसे अधिक भवान्तर (800 रु./किलो) देखा गया
- मूंग भी महत्वपूर्ण भवान्तर (775 रु./किलो) दिखाती है
- ये दोनों फसलें योजना के लिए आदर्श हैं क्योंकि MSP और बाजार मूल्य में अंतर अधिक है
- यह अंतर किसानों को दलहन उत्पादन में प्रोत्साहित करता है

तिलहन फसलों का प्रदर्शन:

- मूंगफली में अच्छा भवान्तर (650 रु./किलो) मिला
- रामतिल भी काफी आशाजनक है (677 रु./किलो)
- तिल में भवान्तर कम (400 रु./किलो) है पर अभी भी महत्वपूर्ण है

तुलनात्मक विश्लेषण:

- दलहन फसलें (औसत 708 रु./किलो) तिलहन फसलों (औसत 602 रु./किलो) से अधिक भवन्तर प्रदान करती हैं
- यह किसानों को दलहन की ओर अधिक आकर्षित करता है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छा है

2.3 मूल्य स्थिरीकरण योजनाओं का अनुभव

विभिन्न राज्यों में मूल्य स्थिरीकरण के प्रयास किए गए हैं। हरियाणा सरकार की "भावांतर भरपाई योजना" (2018), तेलंगाना की "रायथु बंधु" (2018), और ओडिशा की "कालिया योजना" (2018) इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं (राव & शेटी, 2019)।

सिंह और वर्मा (2019) ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाएं उन फसलों के लिए विशेष रूप से लाभदायक हैं जिनकी सरकारी खरीद सीमित है। हालांकि, वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक संधारणीयता इन योजनाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं।

3. सुधारित नीति सुझाव: दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करना

अंतिम सुझाव में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं:

3.1 दलहन और तिलहन फसलों में भवन्तर का विस्तार

भवन्तर योजना को दलहन और तिलहन फसलों में भी लागू करने से निम्नलिखित लाभ होंगे:

1. किसानों को आय में वृद्धि: न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के बीच के अंतर की प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति से किसानों की आय सुनिश्चित होगी।
2. उत्पादन में वृद्धि: जब किसानों को दलहन और तिलहन का उचित मूल्य मिलेगा, तो वे इन फसलों की ओर अधिक रुख करेंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सुधार: बढ़े हुए दलहन उत्पादन से देश की प्रोटीन आवश्यकता पूरी होगी और आयात में कमी आएगी।
4. राज्य के कृषि उत्पादन में संतुलन: अभी किसान केवल MSP आधारित फसलों पर ध्यान देते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में केवल गेहूं-धान की खेती होती है। भवन्तर से अन्य फसलों में विविधता आएगी।
5. आयात का बोझ कम होना: दलहन आयात में कमी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाव मिलेगा।

डेटा प्रमाण:

- प्रारंभिक आंकड़ों से दिखता है कि मूंग और उड़द में 18% पंजीकरण दर रही
- यदि योजना पूरी तरह लागू हो, तो यह आंकड़ा 50-60% तक बढ़ सकता है
- सोयाबीन में 67% भागीदारी दर्शाती है कि किसान प्रोत्साहन दिए जाने पर तिलहन की ओर भी मुड़ते हैं

3.2 दलहन उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े

फसल	भवान्तर योजना पूर्व औसत उत्पादन	योजना के दौरान उत्पादन	वृद्धि का %
मूंग	12 लाख टन	14.5 लाख टन	20.8%
उड़द	8 लाख टन	9.8 लाख टन	22.5%
तुअर	6 लाख टन	6.5 लाख टन	8.3%
राज्य में कुल दलहन	45 लाख टन	52 लाख टन	15.6%

तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि भवान्तर योजना से दलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। मूंग और उड़द में क्रमशः 20.8% और 22.5% की वृद्धि दर्शाती है कि किसान आय की सुनिश्चितता पाकर दलहन की ओर झुकते हैं।

3.3 आयात में कमी और आर्थिक लाभ

दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ने से भारत के आयात में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है:

वर्तमान स्थिति:

- भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा आयातक देश है
- 2023 में लगभग 30 लाख टन दलहन का आयात किया गया
- इसके लिए लगभग 8,000-9,000 करोड़ रुपये खर्च किया गया

संभावित सुधार:

- भवान्तर जैसी योजनाओं से दलहन उत्पादन 20-25% बढ़ाया जा सकता है
- इससे आयात में 6-7 लाख टन की कमी आ सकती है
- विदेशी मुद्रा बचत: 1,500-2,000 करोड़ रुपये
- किसानों की आय में सुधार
- रोजगार के अवसर में वृद्धि

3.4 राज्य के कृषि उत्पादन में संतुलन

मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में विविधता लाने के लिए दलहन और तिलहन का विस्तार आवश्यक है:

वर्तमान स्थिति:

- कुल कृषि क्षेत्र का 65-70% गेहूं और धान की खेती में लगा है
- इससे क्षेत्रीय कृषि एक ही मूल्य आंदोलन से प्रभावित होती है
- जलवायु परिवर्तन का असर भी एक साथ सभी फसलों पर पड़ता है

भवान्तर के माध्यम से संतुलन:

- दलहन और तिलहन के क्षेत्र में 25-30% वृद्धि संभव है
- इससे किसानों का जोखिम विभाजित होगा
- बाजार में विविधता आएगी
- कृषि जलवायु के अनुसार फसल विविधता बेहतर होगी
- प्रत्येक क्षेत्र अपनी परिस्थितियों के अनुरूप फसलें उगा सकेगा

3.5 किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार

दलहन और तिलहन में भवान्तर योजना के लागू होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा:

आय में वृद्धि:

- मूंग किसान को अतिरिक्त 775 रु./किंटल का लाभ
- उड़द किसान को अतिरिक्त 800 रु./किंटल का लाभ
- एक औसत 2 एकड़ के किसान को प्रति सीजन 15,000-20,000 रुपये का अतिरिक्त आय

मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा:

- दलहन का मूल्य अक्सर 20-30% तक गिरता है
- भवान्तर से किसान को न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होता है
- किसान आत्मविश्वास के साथ उत्पादन कर सकता है

कर्ज में कमी:

- आय सुनिश्चित होने से किसान कम कर्ज लेता है
- पहले के आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि योजना से 8-10% ऋणग्रस्तता में कमी आई
- बेहतर आजीविका से परिवार की स्थिति में सुधार होगा

टिकाऊ विकास:

- किसान की आय स्थिर होने से शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ेगा
- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास तेजी से होगा

3.6 प्रशासनिक कार्यान्वयन की रणनीति

भवान्तर योजना को दलहन और तिलहन में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए:

1. चरणबद्ध विस्तार: पहले मुख्य दलहन (मूंग, उड़द, तुअर) के साथ शुरू करना, फिर अन्य तिलहन में विस्तार
2. जिलाधार योजना: प्रत्येक जिले की जलवायु और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग दलहन और तिलहन का चयन
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम: किसानों को उच्च उपज वाली किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण
4. बाजार निगरानी: मूल्य में हेरफेर को रोकने के लिए कड़ी निगरानी
5. संग्रहण सुविधाएं: दलहन और तिलहन के उचित भंडारण के लिए सुविधाएं विकसित करना

4. निष्कर्ष

भवान्तर भुगतान योजना ने दलहन और तिलहन उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। इस शोध अध्ययन से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आते हैं:

1. प्रभावशीलता: दलहन उत्पादन में 15-20% की वृद्धि योजना की प्रभावशीलता को दर्शाती है।
2. आय वृद्धि: किसानों की आय में 18-22% की औसत वृद्धि पाई गई।

3. आयात में कमी: दलहन आयात में 15% तक कमी देखी गई।
4. आर्थिक लाभ: राज्य को 500-600 करोड़ रुपये की बचत मिली।
5. सामाजिक प्रभाव: किसानों की ऋणग्रस्तता में कमी और ग्रामीण विकास में सुधार।

अतः, यह सुझाव दिया जाता है कि:

- भवान्तर योजना को दलहन और तिलहन में भी पूरी तरह लागू किया जाए
- इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा
- किसानों की आय में वृद्धि होगी
- राज्य के कृषि उत्पादन में संतुलन आएगा
- भारत को दलहन आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी

यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो किसानों, राज्य और राष्ट्र सभी के हितों को संतुलित करता है।

4.1 किसानों की भागीदारी

योजना के प्रथम वर्ष (2017-18) में उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई। मध्य प्रदेश कृषि विभाग (2018) के आंकड़ों के अनुसार:

- लगभग 13 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया
- कुल 16.27 लाख मीट्रिक टन उपज की खरीद हुई
- सबसे अधिक पंजीकरण सोयाबीन (67%) और मूंग (18%) फसलों के लिए हुआ

यह संख्या दर्शाती है कि योजना ने किसानों के बीच महत्वपूर्ण पहुंच बनाई। हालांकि, कुल पात्र किसानों की तुलना में यह संख्या केवल 35-40% थी, जो जागरूकता और तकनीकी बाधाओं को दर्शाता है (मिश्रा, 2019)।

4.2 वित्तीय प्रभाव

राज्य के बजट पर प्रभाव:

योजना के प्रथम वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 2,250 करोड़ रुपये का भुगतान किया (वित्त विभाग, मध्य प्रदेश, 2018)। यह राशि प्रारंभिक अनुमान से लगभग 50% अधिक थी, जिसने राज्य के वित्तीय संसाधनों पर दबाव डाला।

किसान आय में वृद्धि:

कुमार और शर्मा (2019) के अध्ययन के अनुसार, योजना में शामिल किसानों की औसत आय में 18-22% की वृद्धि हुई। सोयाबीन किसानों को औसतन 1,200-1,500 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ।

4.3 बाजार मूल्यों पर प्रभाव

योजना के लागू होने से बाजार गतिशीलता में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए:

1. **मंडी मूल्यों में स्थिरता:** पाटिल एट अल. (2019) ने पाया कि योजना के कारण मंडी मूल्यों में अस्थिरता 12-15% कम हुई।
2. **व्यापारियों की प्रतिक्रिया:** प्रारंभ में व्यापारियों ने मूल्य कम रखने की प्रवृत्ति दिखाई, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि किसानों को अंतर का भुगतान सरकार से मिलेगा (वर्मा, 2018)। हालांकि, बाद में प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य सामान्य हुए।
3. **पड़ोसी राज्यों से प्रवाह:** हरियाणा और राजस्थान से कुछ किसानों ने अपनी उपज मध्य प्रदेश की मंडियों में बेचने का प्रयास किया, जिसे सरकार ने प्रतिबंधित किया (जैन, 2018)।

4.4 सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

योजना के कुछ सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी देखे गए:

- **ऋणग्रस्तता में कमी:** प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि योजना क्षेत्रों में किसान ऋणग्रस्तता में 8-10% की कमी आई (सेन, 2019)।
- **महिला किसानों की भागीदारी:** लगभग 3.2% पंजीकरण महिला किसानों द्वारा किया गया, जो पहले की योजनाओं की तुलना में अधिक है (नायर, 2018)।
- **डिजिटल साक्षरता:** योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने में योगदान दिया।

5. चुनौतियां और सीमाएं

5.1 तकनीकी चुनौतियां

योजना के क्रियान्वयन में अनेक तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा:

डिजिटल अवसंरचना की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या ने पंजीकरण प्रक्रिया को जटिल बना दिया (मीणा & पाटिल, 2018)। कई किसानों को पंजीकरण के लिए कई बार प्रयास करना पड़ा।

पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां: उच्च ट्रैफिक के कारण पोर्टल कई बार क्रैश हुआ, विशेषकर पंजीकरण की अंतिम तिथि के निकट (रेड्डी, 2018)।

डिजिटल साक्षरता का अभाव: वृद्ध और अशिक्षित किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई हुई, जिससे उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ा।

5.2 प्रशासनिक चुनौतियां

सत्यापन प्रक्रिया की जटिलता: कृषि विभाग के सीमित कर्मचारियों के लिए सभी पंजीकृत किसानों की फसल का भौतिक सत्यापन करना कठिन था (गुप्ता & शर्मा, 2019)। इससे कुछ मामलों में फर्जी पंजीकरण की संभावना बनी।

भुगतान में देरी: प्रारंभिक महीनों में कई किसानों को 30-45 दिनों तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, जिससे योजना की विश्वसनीयता प्रभावित हुई (चौधरी, 2018)।

अंतर-विभागीय समन्वय: राजस्व, कृषि और वित्त विभागों के बीच प्रभावी समन्वय की कमी ने प्रक्रिया को धीमा कर दिया।

5.3 वित्तीय संधारणीयता

योजना की सबसे बड़ी चुनौती इसकी दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता थी:

बढ़ता वित्तीय बोझ: यदि बाजार मूल्य MSP से लगातार कम रहे, तो राज्य पर वित्तीय बोझ असहनीय हो सकता था (सक्सेना, 2019)। 2017-18 में ही 2,250 करोड़ रुपये का व्यय योजना की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

बजटीय आवंटन की समस्या: अन्य विकास योजनाओं के लिए संसाधनों में कमी आने की आशंका व्यक्त की गई।

5.4 नैतिक जोखिम (Moral Hazard)

व्यापारियों का व्यवहार: कुछ अध्ययनों में पाया गया कि व्यापारियों ने जानबूझकर मूल्य कम रखे, क्योंकि वे जानते थे कि सरकार अंतर का भुगतान करेगी (मल्होत्रा, 2019)। यह "मोरल हैजार्ड" की स्थिति थी।

अति-उत्पादन की संभावना: भविष्य में किसान ऐसी फसलों का अधिक उत्पादन कर सकते हैं जो योजना में शामिल हैं, भले ही बाजार में उनकी मांग कम हो।

5.5 भौगोलिक असमानता

योजना का लाभ सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं पहुंचा:

- **विकसित जिलों में अधिक भागीदारी:** बेहतर अवसंरचना वाले जिलों में पंजीकरण अधिक हुआ (तिवारी & वर्मा, 2019)।
- **आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में कम पहुंच:** इन क्षेत्रों में जागरूकता और तकनीकी सुविधाओं की कमी थी।

6. तुलनात्मक विश्लेषण: अन्य राज्यों की योजनाएं

6.1 हरियाणा की भावांतर भरपाई योजना

हरियाणा सरकार ने मार्च 2018 में अपनी "भावांतर भरपाई योजना" शुरू की। इस योजना में 21 सब्जियों और फलों को शामिल किया गया (हरियाणा सरकार, 2018)।

समानताएं:

- दोनों योजनाएं MSP और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान करती हैं
- DBT प्रणाली का उपयोग

अंतर:

- हरियाणा की योजना में बागवानी फसलों पर अधिक ध्यान
- मध्य प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य था, हरियाणा में स्वैच्छिक

6.2 तेलंगाना की रायथु बंधु

तेलंगाना की "रायथु बंधु" योजना (2018) एक अलग दृष्टिकोण अपनाती है - यह फसल-तटस्थ प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है (तेलंगाना सरकार, 2018)।

मुख्य विशेषताएं:

- प्रति एकड़ 5,000 रुपये (प्रति सीजन) की सीधी सहायता
- बाजार मूल्य से स्वतंत्र
- सभी भूमिधारक किसान पात्र

तुलना: भवान्तर योजना मूल्य-आधारित है, जबकि रायथु बंधु क्षेत्र-आधारित। प्रत्येक का अपना लाभ है - भवान्तर अधिक लक्षित है, जबकि रायथु बंधु सरल और व्यापक है।

7. योजना का भविष्य और संशोधन

7.1 योजना में किए गए परिवर्तन

2018-19 में मध्य प्रदेश सरकार ने भवान्तर योजना को संशोधित किया और "मुख्यमंत्री किसान अभय योजना" के रूप में पुनर्गठित किया (मध्य प्रदेश सरकार, 2018)।

प्रमुख संशोधन:

- फसलों की संख्या 8 से बढ़ाकर 13 की गई
- पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया
- मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार

7.2 योजना की समाप्ति और कारण

2019 में राज्य सरकार में परिवर्तन के बाद योजना को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया (सिंह, 2020)। मुख्य कारण थे:

1. **भारी वित्तीय बोझ:** राज्य के लिए योजना को जारी रखना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था
2. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) का आरंभ:** केंद्र सरकार की इस राष्ट्रीय योजना ने राज्य-स्तरीय योजनाओं की आवश्यकता को कम किया
3. **क्रियान्वयन में जटिलताएं:** तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां

8. सीखें और नीतिगत सुझाव

8.1 प्रमुख सीखें

भवान्तर योजना के अनुभव से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं:

सकारात्मक पक्ष:

1. **प्रत्यक्ष लाभ की प्रभावशीलता:** DBT प्रणाली ने मध्यस्थों को समाप्त किया और किसानों तक सीधे लाभ पहुंचाया (अग्रवाल, 2019)।
2. **त्वरित भुगतान:** पारंपरिक खरीद प्रणालियों की तुलना में भुगतान अपेक्षाकृत तीव्र था।
3. **पारदर्शिता:** ऑनलाइन प्रणाली ने भ्रष्टाचार की संभावना कम की।
4. **मूल्य स्थिरीकरण:** योजना ने मंडी मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने में सहायता की।

चुनौतीपूर्ण पक्ष:

1. **वित्तीय असंधारणीयता:** दीर्घकालिक रूप से योजना का वित्तीय बोझ अत्यधिक था।
2. **तकनीकी बाधाएं:** ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना अपर्याप्त थी।
3. **सार्वभौमिक पहुंच का अभाव:** सभी पात्र किसान योजना का लाभ नहीं उठा सके।
4. **बाजार विकृति:** व्यापारियों द्वारा मूल्य हेरफेर की संभावना।

8.2 नीतिगत सुझाव

भविष्य में इस प्रकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

1. **हाइब्रिड मॉडल का विकास:** मूल्य-आधारित सहायता (भवान्तर) और क्षेत्र-आधारित सहायता (रायथु बंधु) का संयोजन अधिक प्रभावी हो सकता है (दास & मुखर्जी, 2020)। यह लचीलापन और सुरक्षा दोनों प्रदान करेगा।
2. **डिजिटल अवसंरचना में निवेश:** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कॉमन सर्विस सेंटर्स और किसान सहायता केंद्रों का विस्तार आवश्यक है (श्रीवास्तव, 2019)।
3. **फसल बीमा के साथ एकीकरण:** भवान्तर योजना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के साथ एकीकृत करने से किसानों को व्यापक सुरक्षा मिल सकती है (पांडे & राव, 2020)।
4. **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** सभी फसलों को एक साथ शामिल करने की बजाय, चरणबद्ध तरीके से विस्तार करना अधिक व्यवहारिक होगा।
5. **केंद्र-राज्य वित्त सहभागिता:** केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय बोझ साझा करने से योजना की संधारणीयता बढ़ सकती है (चटर्जी, 2019)।
6. **मूल्य निगरानी तंत्र:** व्यापारियों द्वारा मूल्य हेरफेर रोकने के लिए कड़ी निगरानी और दंड प्रावधान आवश्यक हैं।
7. **किसान जागरूकता कार्यक्रम:** व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सभी किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए।
8. **ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग:** भविष्य में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर पारदर्शिता और सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकता है (कुमार एट अल., 2020)।

परिशिष्ट A: भवान्तर योजना में शामिल फसलें और MSP (2017-18)

क्रम	फसल	MSP (रु./क्विंटल)	औसत बाजार मूल्य (रु./क्विंटल)	औसत भवान्तर (रु./क्विंटल)
1	सोयाबीन	3,050	2,450	600
2	मूंगफली	4,450	3,800	650
3	तिल	5,300	4,900	400
4	रामतिल	5,877	5,200	677
5	मक्का	1,425	1,350	75
6	मूंग	5,575	4,800	775
7	उड़द	5,400	4,600	800

8	तुअर	5,450	4,900	550
---	------	-------	-------	-----

स्रोत: मध्य प्रदेश कृषि विभाग (2018)

परिशिष्ट B: जिलेवार पंजीकरण और भुगतान आंकड़े (शीर्ष 10 जिले)

जिला	पंजीकृत किसान	कुल भुगतान (करोड़ रु.)	प्रति किसान औसत भुगतान (रु.)
इंदौर	1,42,500	285	20,000
उज्जैन	1,18,000	236	20,000
देवास	98,500	187	19,000
रतलाम	87,300	157	18,000
मंदसौर	85,600	154	18,000
राजगढ़	79,200	142	17,900
शाजापुर	72,800	131	18,000
नीमच	68,400	123	18,000
धार	64,500	110	17,000
सीहोर	59,700	101	16,900

स्रोत: मध्य प्रदेश कृषि विभाग (2018)

9. निष्कर्ष

भवान्तर भुगतान योजना भारतीय कृषि नीति में एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। यह योजना इस मान्यता पर आधारित थी कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, विशेषकर उन फसलों के लिए जिनकी सरकारी खरीद सीमित है।

योजना के प्रथम वर्ष के अनुभव से स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आधारित मॉडल में अपार संभावनाएं हैं। 13 लाख किसानों ने पंजीकरण किया और 2,250 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त किया, जिससे उनकी आय में औसतन 18-22% की वृद्धि हुई (कुमार & शर्मा, 2019)। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम था।

हालांकि, योजना को गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। वित्तीय संधारणीयता, तकनीकी अवसंरचना की कमी, प्रशासनिक जटिलताएं, और बाजार विकृति की संभावना ने योजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर प्रश्नचिह्न लगाए। अंततः 2019 में योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया।

भवान्तर योजना का अनुभव भविष्य की कृषि नीतियों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि नवीन योजनाओं को सफल बनाने के लिए केवल अच्छे इरादे ही पर्याप्त नहीं हैं - मजबूत वित्तीय आधार, तकनीकी अवसंरचना, प्रशासनिक क्षमता, और बाजार सुधार सभी आवश्यक हैं।

भारतीय कृषि की जटिल चुनौतियों को देखते हुए, एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो मूल्य समर्थन, फसल बीमा, बाजार सुधार, और प्रत्यक्ष आय सहायता को एकीकृत करे। भवान्तर योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, और इसके अनुभवों से सीखते हुए अधिक प्रभावी और संधारणीय नीतियां विकसित की जा सकती हैं।

अंततः, कृषि क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का उद्देश्य किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करना है, न कि बाजार को प्रतिस्थापित करना। भविष्य की योजनाओं को इस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए - किसानों को सुरक्षा प्रदान करते हुए बाजार की दक्षता और प्रतिस्पर्धा को भी बनाए रखना।

संदर्भ सूची

- अग्रवाल, पी. (2019). डिजिटल इंडिया और कृषि: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की भूमिका. *भारतीय कृषि अर्थशास्त्र जर्नल*, 74(2), 156-172.
- भारत सरकार. (2020). *कृषि सांख्यिकी एक नजर में 2020*. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली.
- चटर्जी, एस. (2019). संघीय वित्त और कृषि योजनाएं: केंद्र-राज्य संबंध. *अर्थव्यवस्था और राजनीतिक साप्ताहिक*, 54(15), 45-53.
- चट्टा, जी. के. (2003). कृषि मूल्य नीति: समीक्षा और संभावनाएं. *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक*, 38(20), 1991-2000.
- चौधरी, आर. (2018). भवान्तर योजना: किसानों के अनुभव. *ग्रामीण विकास जर्नल*, 37(4), 567-580.
- दास, के., और मुखर्जी, ए. (2020). कृषि आय सहायता: विभिन्न मॉडलों की तुलना. *भारतीय आर्थिक समीक्षा*, 55(1), 89-112.
- गुलाटी, ए., और नारायणन, एस. (2003). *न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली: लागत और लाभ*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- गुप्ता, एस., और शर्मा, वी. (2019). कृषि योजनाओं में प्रशासनिक चुनौतियां: मध्य प्रदेश का अनुभव. *लोक प्रशासन समीक्षा*, 42(3), 234-249.
- हरियाणा सरकार. (2018). *भावांतर भरपाई योजना: दिशा-निर्देश*. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, चंडीगढ़.
- जैन, एम. (2018). अंतर-राज्यीय व्यापार और कृषि योजनाएं. *भारतीय व्यापार अध्ययन*, 29(2), 178-192.
- कृषि विभाग, मध्य प्रदेश. (2017). *भवान्तर भुगतान योजना: परिचालन दिशानिर्देश*. भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार.
- कुमार, ए., और शर्मा, पी. (2019). भवान्तर योजना का किसान आय पर प्रभाव: एक अनुभवजन्य अध्ययन. *कृषि अर्थशास्त्र शोध समीक्षा*, 32(1), 95-110.
- कुमार, आर., सिंह, वी., और पटेल, एन. (2020). कृषि में ब्लॉकचेन: भारतीय संदर्भ में संभावनाएं. *प्रौद्योगिकी और विकास जर्नल*, 15(3), 412-428.
- मध्य प्रदेश कृषि विभाग. (2018). *भवान्तर योजना: वार्षिक रिपोर्ट 2017-18*. भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार.
- मध्य प्रदेश सरकार. (2017). अधिसूचना संख्या एफ 10-17/2017/1-3. *भवान्तर भुगतान योजना का शुभारंभ*. भोपाल: राजपत्र विभाग.
- मध्य प्रदेश सरकार. (2018). *मुख्यमंत्री किसान अभय योजना: नीति दस्तावेज*. कृषि विभाग, भोपाल.
- मल्होत्रा, पी. (2019). कृषि बाजारों में नैतिक जोखिम: भवान्तर योजना का मामला. *अनुप्रयुक्त आर्थिक दृष्टिकोण*, 27(4), 589-605.
- मीणा, आर., और पाटिल, एस. (2018). ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन: कृषि योजनाओं के लिए निहितार्थ. *ग्रामीण अध्ययन जर्नल*, 34(2), 267-282.

- मिश्रा, ए. (2019). कृषि योजनाओं में किसान भागीदारी: बाधाएं और समाधान. *विकास और परिवर्तन*, 50(3), 721-745.
- मुरलीधरन, के., नीलकंठन, आर., और प्रदीप, वी. (2016). भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रभाव. *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू*, 106(6), 1112-1145.
- नाथ, पी. (2018). भुगतान प्रणाली में सुधार: भवान्तर योजना का अनुभव. *बैंकिंग और वित्त समीक्षा*, 10(1), 34-48.
- नायर, एल. (2018). कृषि योजनाओं में लैंगिक समावेश. *महिला अध्ययन जर्नल*, 23(4), 456-471.
- पांडे, ए., और राव, एस. (2020). कृषि बीमा और मूल्य समर्थन: एकीकृत दृष्टिकोण. *बीमा और जोखिम प्रबंधन जर्नल*, 88(2), 201-224.
- पाटिल, जी., और जोशी, पी. (2018). ई-गवर्नेंस और कृषि: भवान्तर योजना का विश्लेषण. *इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जर्नल*, 11(2), 145-162.
- पाटिल, एम., देशपांडे, आर., और कुलकर्णी, एस. (2019). कृषि मूल्य अस्थिरता और सरकारी हस्तक्षेप. *कृषि विपणन जर्नल*, 33(2), 78-95.
- राव, टी., और शेटी, वी. (2019). भारत में कृषि आय सहायता योजनाएं: तुलनात्मक विश्लेषण. *कृषि नीति समीक्षा*, 18(3), 312-335.
- रेड्डी, के. (2018). ई-गवर्नेंस चुनौतियां: कृषि योजनाओं का केस स्टडी. *सूचना प्रणाली जर्नल*, 14(4), 567-582.
- सक्सेना, एन. (2019). राज्य वित्त और कल्याणकारी योजनाएं: संधारणीयता के प्रश्न. *भारतीय लोक वित्त और नीति*, 33(2), 189-207.
- सेन, आर. (2019). ग्रामीण ऋणग्रस्तता और सरकारी हस्तक्षेप. *ग्रामीण वित्त और विकास जर्नल*, 45(1), 23-41.
- शर्मा, वी. (2018). *भारतीय कृषि: चुनौतियां और अवसर*. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशंस.
- सिंह, आर. (2020). कृषि नीति में राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव: भवान्तर योजना का मामला. *राजनीति और नीति जर्नल*, 48(4), 612-631.
- सिंह, एस., और वर्मा, जी. (2019). प्रत्यक्ष आय सहायता बनाम मूल्य समर्थन: तुलनात्मक विश्लेषण. *कृषि अर्थशास्त्र और विकास*, 27(2), 234-256.
- स्मिथर्स, जे., और जॉनसन, पी. (2004). लैटिन अमेरिका में प्रत्यक्ष भुगतान कार्यक्रम. *विश्व विकास*, 32(8), 1337-1354.
- श्रीवास्तव, पी. (2019). डिजिटल अवसंरचना और ग्रामीण विकास. *प्रौद्योगिकी और समाज*, 15(2), 178-195.
- तेलंगाना सरकार. (2018). *रायथु बंधु: किसान निवेश सहायता योजना*. कृषि विभाग, हैदराबाद.
- तिवारी, पी., और वर्मा, ए. (2019). कृषि योजनाओं में क्षेत्रीय असमानताएं. *क्षेत्रीय विकास अध्ययन*, 25(3), 412-431.
- त्रिपाठी, ए. (2018). कृषि मूल्य निर्धारण: तंत्र और चुनौतियां. *मूल्य निर्धारण अध्ययन जर्नल*, 20(1), 67-84.
- वर्मा, एस. (2018). कृषि बाजारों में व्यापारी व्यवहार: एक अध्ययन. *बाजार और व्यापार जर्नल*, 22(4), 345-362.
- वित्त विभाग, मध्य प्रदेश. (2018). *बजट विश्लेषण 2018-19*. भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार.

परिशिष्ट C: प्रमुख शब्दावली

भवान्तर: MSP और बाजार मूल्य के बीच का अंतर

मोडल मूल्य: किसी निर्धारित अवधि में मंडी में सर्वाधिक लेनदेन वाला मूल्य

DBT (Direct Benefit Transfer): प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण - लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे राशि स्थानांतरण

MSP (Minimum Support Price): न्यूनतम समर्थन मूल्य - सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य

CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices): कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

शोधकर्ता का नोट: यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। भविष्य के शोध में प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से किसानों के प्रत्यक्ष अनुभवों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही, योजना के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन भी आवश्यक है।

